

मैसर्स एचएमटी लिमिटेड

बनाम

केंद्रीय छूट और सीमा शुल्क, औरंगाबाद

13 जुलाई, 2007

(डॉ. अरिजीत पसायत, जे. व तरुण चटर्जी, जे.)

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 - अध्याय शीर्षक 84-34 और एचएसएन शीर्षक पर व्याख्यात्मक टिप्पणी- दूध उद्योग के लिए उपयोग की जाने वाली मशीनें और दूध उत्पाद- पेस्ट्यूराइजर/चिलर आदि की प्रकृति की मशीनें- शीर्षक में वर्जित किया गया- आयोजित करने का स्वामित्व: अध्याय शीर्षक और शीर्षक के लिए एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए, दूध के प्रसंस्करण के लिए मशीनें, प्रशीतन उपकरण और उत्पादों को लपेटने या तौलने के लिए मशीनों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अध्याय शीर्षक से बाहर रखा गया है। धारा 11 ए-केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 -आर. 173 क्यू.

निर्धारित- निर्माता ने मशीनों को अर्थात् स्किड माउंटिंग प्रकार दूध/क्रीम पाश्चराइजर एस. एच., शीतलन संयंत्र; दूध/क्रीम शीतलक, दूध/क्रीम पाश्चराइजर, दूध/क्रीम/घी पंप, दूध और क्रीम विभाजक, मक्खन पैकिंग

मशीन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के अध्याय 84-34 के तहत वर्गीकृत किया।

अधिकारियों ने शीर्षक 84 के नोट 2 और एच. एस. एन. व्याख्यात्मक नोट को लागू करते हुए ऐसी वस्तुओं को वर्जित किया, जो अध्याय शीर्षक 84-34 सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सी. ई. एस. टी. ए. टी.) के अनुसार पाश्चराइजर/चिलर की प्रकृति के होना पाए गए, अध्याय शीर्षक 84-34 के तहत कवरेज से वे मशीनें जो दूध के प्रसंस्करण के लिए गर्मी विनिमय के सिद्धांत पर निर्भर करती हैं, को वर्जित किया गया है तथा शीर्षक के तहत उन प्रशीतन उपकरण (चाहे विशेष रूप से शीतलन के लिए डिजाइन किया गया हो या नहीं, दूध और दूध को ठंडा रखने के लिए वाष्पीकरण की प्रशीतन इकाई को अध्याय शीर्षक 84-34 के तहत शामिल करने वाली प्रशीतन इकाई) को भी वर्जित किया गया है। एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणी द्वारा उत्पाद को लपेटने या तौलने के लिए मशीनों को अध्याय शीर्षक 84-34 से वर्जित किया गया है। अधीनस्थ प्राधिकारीगण के आदेश को बरकरार रखा गया। अतः हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई हैं।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1- शीर्षक 84-37 दूध देने की मशीन और डेयरी मशीनरी में यांत्रिक दूध दुहने वाली मशीनें और अन्य यंत्र जो दुग्ध का ट्रीटमेंट करने या उसे अन्य

डेयरी उत्पाद में सम्मिलित करने के लिए प्रयोग में लिए जाते हो, चाहे वे खेत के लिए हो या औद्योगिक प्रयोजन के लिए हों। (शीर्षक 84-19) शीर्षक में आगे (क) प्रशीतन उपकरण (चाहे विशेष रूप से दूध को ठंडा करने या रखने के लिए डिजाइन किए गए हों या नहीं) और दूध को ठंडा करने वाले बर्तन, जिसमें प्रशीतन इकाई का वाष्पीकरण यंत्र शामिल हो (शीर्षक 84-18) (ख) क्रीम विभाजक, फिल्टर-प्रेस और अन्य फिल्टरिंग या स्पष्टीकरण करने वाली मशीनरी या उपकरण (शीर्षक 84-21) (ग) दूध के पात्रों को धोने के लिए मशीनें, और दूध की बॉटलिंग या डिब्बाबंद करने की मशीनों को (शीर्षक 84-22) वर्जित किया गया हैं। उत्पाद को लपेटने या तौलने वाली मशीनों को, बटर बनाने की मशीन और चीज बनाने की मशीन (शीर्षक 84-22 और 84-23) से वर्जित किया गया है। (पैरा 13) (340 ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी)।

2- यहाँ तक कि नोट संख्या 2 से अध्याय शीर्षक 84-34 व एच.एस.एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अवलोकन मात्र से पता चलता है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. का दृश्य टेरा फर्मा पर है। वर्गीकरण मामलों में न्यायाधिकरण के दृष्टिकोण में तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि स्पष्ट रूप से गलत न हो। (पैरा 14) (349 ए, बी)।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वी. वाहक विमान, (2006) 6 स्केल 564 का अवलंब लिया गया।

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2006 की सिविल अपील सं. 1176

सीमा शुल्क, आबकारी और सेवा शुल्क अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ ने अपील सं. ई/1417/00-मुंबई के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 21-10-2005

अपीलार्थी की ओर से अजय महिठिया, राजेश कुमार और कैलाश चंद।

उत्तरदाता की ओर से के. राधाकृष्णन, पी. नरसिम्हन और बी. कृष्ण प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया।

1- इस अपील में सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पश्चिम क्षेत्रीय पीठ (संक्षेप में "सी. ई. एस. टी. ए. टी.") ने अपीलार्थी द्वारा दायर अपील को खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है।

2- संक्षेप में पृष्ठभूमि के तथ्य इस प्रकार हैं:-

निर्धारित मशीनरी और पुर्जों के निर्माण में लगा हुआ है, जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "शुल्क अधिनियम") के अध्याय 84 के तहत आते हैं। निर्धारित ने निम्नलिखित उत्पादों को गलत तरीके से वर्गीकृत करने का आरोप लगाते हुए Rs-14,37,805/- शुल्क लगाने का

प्रस्ताव देते हुए कारण दर्शाए जाने के नोटिस जारी किए थे, जिसमें राजस्व के अनुसार संबंधित उत्पादों को निम्न गलत तरीके से वर्गीकृत किया गया था:-

(i) स्किड माउंटिंग टाइप दूध, क्रिम पाश्चराइजर एस. एच.	8434-10
(ii) शीतलन संयंत्र	8434-10
(iii) दूध/क्रीम शीतलक	8434-10
(iv) दूध/क्रीम पाश्चराइजर	8434-10
(v) दूध/क्रीम/घी पंप	8434-10
(vi) दूध और क्रीम विभाजक	8434-10
(vii) बटर पैकिंग मशीन	8434-10
(viii) उपरोक्त मशीनरी के भाग	8434-10

3- कारण दर्शाओ नोटिस में एस. एल. में उल्लिखित नं. (i) से (iv) अध्याय शीर्षक 8419-10 और अध्याय उप-शीर्षक 8419-90 (भागों के लिए) के तहत और मशीन क्रम संख्या (v) पर अध्याय उप-शीर्षक 8413-19 के तहत और उसके भागों को 8413-99 के रूप में माल को वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। वस्तुओं को क्रम संख्या (vi) में अध्याय उपशीर्षक संख्या 8421-10 के तहत और उसके कुछ हिस्सों को अध्याय उपशीर्षक संख्या 8421-90 के तहत और क्रम संख्या (vii) में अध्याय

उपशीर्षक 8422-80 के तहत और उसके कुछ हिस्सों को अध्याय उपशीर्षक 8422-90 के तहत वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। कारण दर्शाओ नोटिस के अनुसार सभी मशीनों का उपयोग हीट एक्सचेंजर्स के रूप में किया जाता है अर्थात् उनका उपयोग तापमान में परिवर्तन से जुड़ी प्रक्रिया द्वारा और व्याख्यात्मक टिप्पणियों के अध्याय 84 के संबंध में इन वस्तुओं द्वारा किए गए कार्यों के अनुसार ठंडा करने, ठंडा करने और पाश्चराइज करने के उद्देश्य से किया जाता है। अतः उन्हें उपरोक्त तरीके से वर्गीकृत करने का प्रस्ताव किया गया था। निर्धारिती ने अपना जवाब प्रस्तुत किया और इसके वर्गीकरण का समर्थन किया। कारण बताओ नोटिस, जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद, सहायक आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क ने मांग की पुष्टि की और निम्नलिखित वर्गीकरण किए।

(i) स्किड माउंटिंग प्रकार का दूध/क्रीम पाश्चराइजर

(ii) शीतलन संयंत्र

(iii) मिल्क क्रीम शीतलक

(iv) दूध क्रीम पाश्चराइजर

4- अध्याय उपशीर्षक संख्या 8419-10 और उपरोक्त के कुछ हिस्सों के तहत अध्याय उपशीर्षक संख्या 8419-90 के तहत 13 प्रतिशत शुल्क के लिए प्रभार्य शुल्क लगाया जाता है।

(v) अध्याय उपशीर्षक संख्या 8413-19 के तहत दूध/क्रीम/घी पंप और सी. एस. एच. सं. 8413-99 के अंतर्गत इसके कुछ हिस्सों पर 13 प्रतिशत शुल्क लगाया जाता है।

(vi) सी. एस. एच. सं. 8421-10 और उसके भागों के तहत दूध/क्रीम विभाजक। सी. एस. एच. सं. 8421-90 @13 प्रतिशत सलाह के तहत।

(vii) सी. एस. एच. सं. 8422-80 के तहत मक्खन पैकिंग मशीन और उसके पुर्जे।

(viii) सी. एस. एच. सं. 8422-90 @13 प्रतिशत सलाह के अंतर्गत।

5- सभी चार मांगों की पुष्टि की गई, जिसमें कुल मांग Rs-14,37,805@- केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11-ए के तहत (संक्षेप में 'अधिनियम*'), केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 (संक्षेप में 'नियम*') के नियम 173 क्यू के तहत Rs-25,000@- का जुर्माना भी लगाया गया था। आयुक्त (अपील) ने मांग की पुष्टि की। जहाँ तक जुर्माने के उद्ग्रहण का संबंध है, तो जुर्माने को उनके द्वारा अपास्त कर दिया गया है।

6- निर्धारिती ने सी. ई. एस. टी. ए. टी. के समक्ष यह रुख अपनाया कि मद 1 से 7 अध्याय शीर्षक 84-34 में और अध्याय शीर्षक 84-34-90 में क्रम संख्या 8 में शामिल होते हैं। अधीनस्थ प्राधिकारीगण ने अध्याय शीर्षक 84 के नोट संख्या 2 और एच. एस. एन. व्याख्यात्मक नोट को लागू किया, जिसमें ऐसी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है, जो

अध्याय शीर्षक 84-34 के तहत पाश्चराइजर/चिलर आदि की प्रकृति में शामिल नहीं होते हैं। राजस्व ने अधीनस्थ प्राधिकारियों के आदेशों का समर्थन किया।

7- सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने पाया कि अध्याय शीर्षक 84-34 व एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणी के अनुसार दूध के प्रसंस्करण के लिए जो मशीनें ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर निर्भर करती हैं, उन्हें अध्याय शीर्षक 84-34 के तहत शामिल नहीं किया गया है तथा अध्याय शीर्षक 84-34 में प्रशीतन उपकरण (चाहे विशेष रूप से दूध और दूध को ठंडा करने या रखने के लिए व प्रशीतन इकाई के वाष्पीकरण को शामिल करने के लिए अध्याय शीर्षक 84-34 के अनुसार निर्मित किया गया हो या नहीं) को भी वर्जित किया गया है। यह भी ध्यान दिया गया कि एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणी में उत्पाद को लपेटने या तौलने के लिए मशीनों को अध्याय शीर्षक 84-34 के तहत वर्जित किया गया है।

8- सी. ई. एस. टी. ए. टी. ने विवादित आदेश को बरकरार रखा और अपील को खारिज कर दिया।

9- अपील के समर्थन में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधीनस्थ प्राधिकारियों ने विभिन्न प्रविष्टियों, एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणी और अध्याय शीर्षकों और उप-शीर्षकों के सार का मूल्यांकन नहीं किया है।

10- दूसरी ओर राजस्व के लिए विद्वान अधिवक्ता ने न्यायाधिकरण के निर्णय का समर्थन किया।

11- अध्याय 84 परमाणु रिएक्टरों, बॉयलरों, मशीनरी और एनिकल उपकरण और उसके भागों से संबंधित हैं। अध्याय का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

1- XX XXXXX

2- शीर्षक संख्या 84-01 84-24 के धारा XVI के नोट 3 के संचालन के अधीन, एक मशीन या उपकरण जो एक या अधिक विवरण का उत्तर देता है और साथ ही एक या अन्य शीर्षक संख्या में 84-25 लगायत 84-80 के विवरण का उत्तर देता है, को पूर्व समूह के उपयुक्त शीर्षक के तहत वर्गीकृत किया जाना चाहिये ना कि पश्चातवर्ती समूह के अनुसार वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

शीर्षक संख्या 84-19 में हालांकि निम्नलिखित शामिल नहीं है:

(क) XX

(ख) XX

(ग) XX

(घ) XX

(ड) मशीनरी या संयंत्र, जिसे यांत्रिक संचालन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें तापमान में परिवर्तन, भले ही आवश्यक हो, सहायक है।

शीर्षक संख्या. 84-22 में निम्न शामिल नहीं है:

(क) थैले या इसी तरह के पात्रों को बंद करने के लिए सिलाई मशीन (शीर्षक नं. 84-52)

शीर्षक संख्या 84-72 का कार्यालय तंत्र शीर्षक संख्या. 84-24 में शामिल नहीं है:

स्याही जेट मुद्रण मशीनें (शीर्षक संख्या 84-43 या 84-71)

12- व्याख्यात्मक टिप्पणियों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, जिनका प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

8434 दूध निकालने वाले यंत्र और डेयरी मशीनरी।

8434-10 दूध निकालने वाले यंत्र

8434-20 डेयरी मशीनरी

8434-90 - पुर्जे

13- इस शीर्षक में यांत्रिक दूध दुहने की मशीनें और अन्य मशीनें, जिनका उपयोग उपचार में या इसे अन्य डेयरी उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए

किया जाता है, चाहे वह कृषि या औद्योगिक उद्देश्यों के लिए हो, शामिल हैं।

(i) दूध दुहने की मशीन: XXXXXX

(ii) दूध का प्रसंस्करण अनिवार्य रूप से ऊष्मा विनिमय के सिद्धांत पर निर्भर करता है और इसलिए बहिष्कृत है (शीर्षक 84-19)। उदाहरण के लिए- उपकरण पाश्चराइजेशन, स्टेसैनाईजेशन या विसंक्रमण, संघनन के लिए या दूध सुखाना उपकरण, दूध शीतलक।

शीर्षक में आगे निम्न को वर्जित किया गया है:-

(क) प्रशीतन उपकरण (चाहे विशेष रूप से दूध को ठंडा करने या रखने के लिए निर्मित किए गए हों या नहीं) और दूध-कूलिंग वाट, जिसमें एक प्रशीतन इकाई का वाष्पीकरणकर्ता समाविष्ट हों।(शीर्षक 84-18)

(ख) क्रीम विभाजक, फिल्टर-प्रेस और अन्य फिल्टरिंग या क्लैरिफाइंग मशीनरी या उपकरण (शीर्षक 84-21)। (सरल फिल्टर फनल व दूध छानने वाली सामग्री को हालाँकि घटक के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है)।

(ग) दूध के पात्रों को धोने के लिए मशीनें, और दूध की बोतलों या डिब्बाबंदी की मशीनें (शीर्षक 84-22)।

(III) दूध को अन्य डेयरी उत्पादों में बदलने के लिए मशीनरी:

(अ) मक्खन बनाने की मशीनें

(1) XX XX XX XX

(2) XX XX XX XX

(3) XX XX XX XX

(4) लेकिन ऐसी मशीनें शामिल नहीं हैं जो उत्पाद लपेटती हैं या वजन भी करती हैं। (शीर्षक 84-22 और 84-23)

(ब) चीज बनाने का यंत्र

(1) XX XX XX XX

(2) लेकिन ऐसी मशीनें शामिल नहीं हैं जो उत्पाद लपेटती हैं या वजन भी करती हैं। (शीर्षक 84-22 और 84-23)

(IV) पाटर्स: XX XX

14- यहां तक कि अध्याय शीर्षक 84-34 के नोट संख्या 2 एवं एच. एस. एन. व्याख्यात्मक टिप्पणियों के एक अवलोकन मात्र से भी से पता चलता है कि सी. ई. एस. टी. ए. टी. का दृश्य टेरा फर्मा पर हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त बनाम वी. वाहक विमान (2006) 6 एससीएलई 564 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि वर्गीकरण मामलों में न्यायाधिकरण का दृष्टिकोण यदि स्पष्ट रूप से गलत ना हो तो, हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। उपरोक्त वस्तुस्थिति के आधार पर हमें यह अपील स्वीकार करने

योग्य प्रकट नहीं होती हैं, जो तदनुसार खारिज की जाती हैं। खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं किया गया है।

याचिका खारिज कर दी गई।

K.K.T.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती डिम्पल जन्डेल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।